

अमर उजाला 28/9/26

पॉक्सो एक्ट पर विद्यार्थियों को दी जानकारी

चंडीगढ़। सेक्टर-32 के गोस्वामी गणेश दत्ता सनातन धर्म कॉलेज में पॉक्सो एक्ट-2012 पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। चंडीगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी अरुण कुमार अग्रवाल ने विद्यार्थियों को बच्चे की कानूनी परिभाषा, यौन अपराधों, सजा, शिकायत प्रक्रिया और विशेष अदालतों के प्रावधानों की जानकारी दी। ब्यूरो

अर्थ प्रकाश 28/9/26

बच्चों की सुरक्षा का कानूनी कवच है पॉक्सो एक्ट, कॉलेज छात्रों को समझाए प्रावधान

जीजीडीएसडी कॉलेज में पॉक्सो एक्ट पर विशेष व्याख्यान, विशेषज्ञ ने बताया बच्चों के कानूनी अधिकार

अर्थ प्रकाश संवाददाता

चंडीगढ़। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाए गए पॉक्सो एक्ट-2012 को लेकर युवाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में कानून कड़ा है और पीड़ित बच्चों के लिए शिकायत से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। यह जानकारी चंडीगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्ता सनातन धर्म कॉलेज में आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में दी।

उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे की परिभाषा, कानून की जेंडर न्यूट्रल प्रकृति और



विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपराधों के लिए निर्धारित सजा, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और मामलों की त्वरित सुनवाई से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान सहयोग देने में सपोर्ट पर्सन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में भी बताया और कहा कि जरूरतमंद लोगों को कानूनी मदद से

वंचित नहीं रहना चाहिए।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने बच्चों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर युवाओं के बीच खुलकर चर्चा और कानूनी जागरूकता जरूरी है। व्याख्यान के बाद विद्यार्थियों और फैकल्टी मेंबर्स ने विशेषज्ञ से सवाल पूछे। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों से जुड़ी जिज्ञासाओं का जवाब दिया। कार्यक्रम का संचालन आयोजन सचिव डॉ. मणि परती ने किया।

दैनिक जागरण 28/9/26

बच्चों की सुरक्षा का कवच है पाक्सो एक्ट



स्टेट लीगल सर्विसेज अथारिटी के
व्याख्यान में पहुंचे मेंबर सेक्रेटरी अरुण
अग्रवाल को सम्मानित करते प्रिंसिपल
और कालेज स्टाफ कालेज प्रबंधन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : बच्चों को
यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाए
गए पाक्सो एक्ट-2012 के प्रति
युवाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाने
की आवश्यकता है। बच्चों के खिलाफ
यौन अपराधों के मामलों में कानून
कड़ा है और पीड़ित बच्चों के लिए
शिकायत से लेकर सुनवाई तक की
प्रक्रिया चाइल्ड फ्रेंडली है। यह
जानकारी चंडीगढ़ स्टेट लीगल
सर्विसेज अथारिटी के मेंबर सेक्रेटरी
अरुण कुमार अग्रवाल ने एसडी
कालेज में आयोजित विशेषज्ञ
व्याख्यान में दी।

उन्होंने विद्यार्थियों को पाक्सो एक्ट
के तहत बच्चे की परिभाषा, कानून की
जेंडर न्यूट्रल प्रकृति व विभिन्न प्रकार
के यौन अपराधों के बारे में बताया।
उन्होंने अपराधों के लिए निर्धारित
सजा और मामलों की त्वरित सुनवाई
से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी।
अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि
पाक्सो मामलों की सुनवाई के लिए
स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है।

दैनिक सेवरा २८/१/२६

बच्चों की सुरक्षा का कानूनी कवच है पॉक्सो एक्ट, कॉलेज छात्रों को समझाए प्रावधान

सवेरा न्यूज/नीना चंडीगढ़ 27 सितंबर : बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाए गए पॉक्सो एक्ट-2012 को लेकर युवाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में कानून कड़ा है और पीड़ित बच्चों के लिए शिकायत से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। यह जानकारी चंडीगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी अरुण कुमार अग्रवाल ने सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्ता सनातन धर्म कॉलेज में आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में दी। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे की परिभाषा, कानून की जेंडर न्यूट्रल प्रकृति और विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपराधों के लिए निर्धारित सजा, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और मामलों की त्वरित सुनवाई से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान सहयोग देने में सपोर्ट पर्सन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में भी बताया और कहा कि जरूरतमंद लोगों को कानूनी मदद से वंचित नहीं रहना चाहिए। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने बच्चों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर युवाओं के बीच खुलकर चर्चा और कानूनी जागरूकता जरूरी है।

पिप्य हिमालयल 28/9/26

एसडी कालेज के छात्रों ने जाना पॉक्सो एक्ट



चंडीगढ़। कार्यक्रम के दौरान चीफ गेस्ट अरुण कुमार अग्रवाल को सम्मान

चंडीगढ़। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाए गए पॉक्सो एक्ट 2012 को लेकर युवाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में कानून कड़ा है और पीड़ित बच्चों के लिए शिकायत से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। यह जानकारी चंडीगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी अरुण कुमार अग्रवाल ने सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्ता सनातन धर्म कॉलेज में आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में दी। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे की परिभाषा, कानून की जेंडर न्यूट्रल प्रकृति और विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपराधों के लिए निर्धारित सजाएँ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और मामलों की त्वरित सुनवाई से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान सहयोग देने में सपोर्टर्स पर्सन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में भी बताया और कहा कि जरूरतमंद लोगों को कानूनी मदद से वंचित नहीं रहना चाहिए। कॉलेज के प्रिन्सीपल डा. अजय शर्मा ने बच्चों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार के मामलों पर चिंता जताई।